न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 203 / 2012

आरसीएमएस नं. 2001 / 00009

निक्षत्र सिह पुत्र मगर सिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब। ––अपीलांट

बनाम

1. विचित्र सिंह
2. किकर सिंह
3. गुरजण्ट सिंह

} पि0 मगर सिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील व जिला भटिण्डा। –– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2012

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर

केस सं0 8 / 2008 अनवान गुरजण्ट सिह बनाम विचित्र सिह आदि

श्री नरेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 6.10.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 3 गुरजण्ट सिंह द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सगे भाई हैं। उनकी खातेदारी भूमि रोही मौजा रामसरा तहसील नोहर के चक 30 एनटीआर तहसील नोहर में व नाईयावाली पंजाब मे संयुक्त तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर बंटवारा कर दोनों जगहों की भूमि आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया जिसके मुताबिक चक 30 एनटीआर की 10.044 है0 भूमि जो प्रतिवादी नं0 1 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2 के नाम से ब0हि0ब0 1/2–1/2 राजस्व रिकार्ड में है जो मुताबिक बंटवारानामा प्रतिवादी सं0 1 क नाम 1/2 हिस्सा की भूमि में से आधा अर्थात 1/4–1/4 मिली हुई है लकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं हेा सका इसलिए वादी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है जो घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने गुरजण्टसिंह का 1/4 व विचित्र. सिंह का 1/4 हिस्सा किकरसिंह का 1/4 हिस्सा के संयुक्त खतोदार काश्तकार है घोषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही आया अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी रेस्पोडेण्ट मातहत अदालत में क्लीन हैण्ड नहीं आया था। अपीलाण्ट वादी एवं प्रतिवादीगण का सगा भाई है जिसे अर्जीदावा में नही दर्शाया गया है। रोही मौजा नाईयावाली तहसील व जिला भटिण्डा की खाता सं0 314/1762 में 26 बीघा भूमि स्थित है जो मगरसिंह पुत्र सुच्चासिंह की अर्जित है अर्थात अपीलाट व रेसपोडेण्ट के पिता की स्वयं अर्जित भूमि है। उक्त भूमि की पैतृक भूमि आय से अपीलाण्ट व रेस्पो0 ने शामिल शटीर रहते भूमि चक नं0 30 एनटीआर की निलामी बोली में खरीद की सहवन से रेस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम अकेलों ने दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि मुश्तर्का खानदान की अद्दी जायदाद की अर्जित आय से खरीद की गई थी। चक 30 एनटीआर की 10.044 है0 भूमि रेस्पो0 सं0 1 व 2 को अकेलों को अपने नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीडित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायलाय ने मात्र राजीनामा शब्द का जिक्र करके बिना किसी दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट की राजीनामा पर कोई सहमति नहीं थी ना ही राजीनामा पर हस्ताक्षर हैं इसलिए समस्त पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं माना जावेगा। इएक्स–पी3 घरेलू बंटवारानामा से भूमि का कोई वर्जन नहीं था, ना ही तथ्यो का कोई खुलासा दिया गया तथा अपंजीकृत अस्पष्ट व समस्त पक्षकारों द्वारा राजीनामा ना होने के कारण उक्त दस्तावेज के आधार पर विचारण न्यायालय ने गलत डिक्री पारित की है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. अपीलाण्ट ने चक 30 एनटीआर की भूमि को पैतृक भूमि की संयुक्त आय से निलामी खरीद करना बताया है जो सहवन से रेस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई। पैतृक भूमि की आय खरीदी हुई भूमि होने के कारण अपना स्वयं का 1/4 हिस्सा हिस्सा होने का कथन किया है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है एवं पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रेस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलाण्ट के उक्त कथनों का किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2012 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.10.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़